

**CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK**  
**MAHTARI SHAKTI RIN YOJNA APPLICATION FORM**

To,  
Branch Manager  
Branch - -----

S. No.	Particular	Details				
1	Name of Borrower					
2	Father's / Husband Name					
3	D.O.B					
4	Mobile No.					
5	Caste (Gen/OBC/SC/ST)					
6	Education	Under Graduate/Graduate/Post Graduate				
7	Identification details	1. Aadhar – 2. PAN – 3. Other -				
8	Residential Address					
9	Details of loans taken from any Bank/F.I. (including CRGB), if any					
	S. No.	Bank/ F.I. & Branch	Loan Type	Sanctioned limit/ Amt.(in Lakhs)	Current status	O/s amt. as on
	1					
	2					
3						
10	<b>Primary Bank A/C details :-</b>					
	Bank Name					
	A/C Number					
11	From which date Mahtari vandan amount credited to account.					
12	Purpose Of Loan (Tick in appropriate field)	For repaying loan of Non- Institutional lenders		For New Business	For Expansion of existing business	
	If loan applied for new business/business expansion then business place (Address)					
13	Loan Amount Applied					

**DECLARATION**

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन पत्र में मेरी/हमारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी सभी दृष्टिकोणों से सत्य और सही है और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को इसे सीधे या किसी तीसरे पक्ष के एजेंट के माध्यम से सत्यापित करने का अधिकार है। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि वित्तीय दस्तावेज़/बैंक विवरण/कानूनी दस्तावेज़ आदि की संलग्न प्रतियाँ जो मैंने/हमने अपनी ऋण आवेदन के लिए प्रस्तुत की हैं, वे सत्य प्रतियाँ हैं। मैं/हम यह भी स्वीकार करते हैं कि बैंक को इस संबंध में किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। मैं/हम समझते हैं कि उपरोक्त सभी जानकारी उस सुविधा का आधार बनेगी जिसे बैंक अपनी पूरी विवेकाधिकार पर मुझे/हमें प्रदान करने का निर्णय ले सकता है।

हस्ताक्षर-

नाम –

दिनांक –

## प्रतिमाह किस्त कटौती हेतु Consent

मैं ..... छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा..... को मेरे द्वारा प्राप्त किये गए ऋण राशि रु.....(अक्षरी -.....) की प्रतिमाह किस्त रु..... की कटौती मेरे महतारी वंदन योजना अंतर्गत प्राप्त राशि जो की खाता क्रमांक ..... में जमा होती है से कर मेरे ऋण खाता क्रमांक ..... में जमा करने हेतु अधिकृत करती हूँ।

हस्ताक्षर-

नाम –

दिनांक –

## ऋण राशि के अंतिम उपयोग हेतु घोषणा

मैं ..... घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा ..... से महतारी शक्ति ऋण योजना अंतर्गत ऋण राशि रु..... (अक्षरी -.....) प्राप्त किया गया है जिसका उपयोग विनिर्दिष्ट उद्देश्य से ही किया जावेगा।

हस्ताक्षर-

नाम –

दिनांक –

## स्वीकृति टीप-

उपरोक्त आधार पर ..... को "CRGB MAHTARI SHAKTI RIN YOJNA" अंतर्गत ऋण राशि रु.....(अक्षरी.....) स्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर-

शाखा प्रबंधक (नाम) -

शाखा-

दिनांक -

**छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा – \_\_\_\_\_ .**  
**स्वीकृति पूर्व स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन – महतारी शक्ति ऋण योजना**

स्थल निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम – .....

पदनाम – ....., स्थल निरीक्षण दिनांक – .....

क्रमांक	विवरण	जानकारी	
1	आवेदिका का नाम		
	पति / पिता का नाम		
	जन्मतिथि		
	पता एवं फोन नं.		
2	KYC (Aadhar/PAN etc.)		
3	महतारी बंदन योजना अंतर्गत खाता क्रमांक		
4	खाते में राशि कब से जमा हो रही है		
5	PMJJBY पंजीयन क्रमांक (पूर्व प्रीमियम कटौती तिथि)		
6	वर्तमान आवेदित ऋण सुविधा का विवरण		
	ऋण सुविधा	आवेदित ऋण राशि	उद्देश्य
	TL		अन्य बैंक से प्राप्त ऋण (लागू होने पर)
7	सिबिल विवरण एवं स्कोर		

8. निरीक्षणकर्ता अधिकारी का अभिमत – .....

.....

.....

.....

.....

दिनांक – .....

हस्ताक्षर – .....

नाम – .....

पदनाम – .....

9. शाखा प्रबंधक का अभिमत : .....

.....

.....

.....

.....

दिनांक – .....

हस्ताक्षर – .....

नाम – .....

रु.....

स्थान .....  
दिनांक .....

मैं.....

वायदा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा.....  
को किसी भी समय माँग करने पर या उनके आदेशानुसार माँग किये जाने पर रु.....  
.....मय ब्याज के जो ब्याज  
दर.....प्रति वर्ष प्रति सैंकड़ा मासिक/तिमाही/छः माही लगेगा,दूँगा।

रसीद  
टिकिट

ऋणी के हस्ताक्षर

नोट-रसीद टिकिट पर अपने हस्ताक्षर करें व तारीख डालें।

प्रोनोट देय पत्र

RRB-21

शाखा प्रबंधक

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक,

शाखा .....

प्रिय महोदय,

श्री/श्रीमती.....द्वारा

श्री/सर्व श्री/श्रीमती.....के पक्ष में बनाये गए  
संलग्न प्रोनोट दिनांक.....रूपये.....( रूपये.....)

को लेने की कृपा करें।

2) मैं/हम आपको यह भी जानकारी दिला देना चाहते हैं कि निगोशिएबल एक्ट 1881 की धारा 93 (ए) के अंतर्गत वाछित अनादरित भुगतान की सूचना देना हमारे लिए आवश्यक नहीं होगा और बैंक को मुतालबे पर भुगतान न करने पर, हममें से किसी का दायित्व माफ किये बिना, किसी की ऋण अदायगी के लिये और समय देने का पूरा अधिकार होगा।

जमानतदार

भवदीय

ऋणी

श्री/श्रीमती .....  
 .....  
 .....

शाखा .....  
 दिनांक .....

**ऋण-प्रकरण**

**लघु उद्योग/लघु व्यवसाय इत्यादि**

आपके ऋण आवेदन दिनांक ..... के संदर्भ में आपको निम्नलिखित शर्तों पर रु..... का ऋण/ ऋण सीमा स्वीकृत की गई है।

1. यह ऋण बैंक द्वारा मांगे जाने पर वापस करना होगा। पर आपकी सुविधा के लिए आप ऋण..... किश्तों में ब्याज के अलावा प्रति किश्त रु. .... मासिक/तिमाही के हिसाब से दे सकते हैं।
2. जिस कार्य के लिए ऋण दिया जा रही है उसी कार्य हेतु उसका उपयोग किया जावे अन्यथा ली गई ऋण राशि तुरन्त वापस करने के लिए बाध्य होंगे। विनियोग की राशि में ..... प्रतिशत राशि आपको लगानी होगी।
3. ऋण संबंधी बैंक के दस्तावेज आपको पूर्ण करने होंगे। आपकी सकल चल/अचल संपत्ति जो वर्तमान में आपके पास है व भविष्य में आपके पास होगी ओर जो बैंक द्वारा ली गई राशि से प्राप्त की जावेगी वह सब ऋण की प्रत्याभूति होगी और उसकी सुरक्षा के लिए आप जिम्मेदार होंगे, और यह चल/अचल सम्पत्ति आपके द्वारा ऋण की शर्तों की अवहेलना करने पर बैंक द्वारा बिना कोई नोटिस के अपने अधिकार में ली जा सकती है।
4. नीचे लिखे जमानतदारों की जमानत पर यह ऋण प्रदान किया जा रहा है। वे भी इस ऋण के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
5. ऋण पर ब्याज की वर्तमान दर ..... प्रतिशत वार्षिक है। यह ब्याज दर बैंक के नियमों के अनुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है जो आपको बाध्य होगी, और ब्याज आपके खाते में प्रतिमाह/तीन माह लगाया जावेगा।
6. बैंक अधिकारियों को ऋण राशि के विनियोजन व उचित उपयोग के निरीक्षण का पूरा अधिकार होगा। निरीक्षण शुल्क आपके द्वारा देय होगा।
7. उपर्युक्त नियमों में एवं ऋण संबंधी शर्तों इत्यादि में वृद्धि, कटौती या किसी भी किस्म का संशोधन करने का पूर्ण अधिकार बैंक को रहेगा जो आपको एवं जमानतदारों पर बाध्य होगा।

जमानतदारों के नाम एवं पता :-

भवदीय

1. ....
2. ....

शाखा प्रबंधक

उपर्युक्त नियम मुझे/हमें समझा दिये गये हैं और हमें पूर्णतया स्वीकार है। हम इनका पूरी तौर पर पालन करेंगे।

दिनांक .....

ऋणी के हस्ताक्षर

जमानतदार के हस्ताक्षर

## ऋण करार

यह करार एक ओर श्री ..... वल्द ..... जो ..... का व्यवसाय करते हैं और जो ग्राम ..... के निवासी हैं। जिनका कारोबार का स्थान ..... है। (जिन्हें इसके आगे "उधारकर्ता" कहा गया है) और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अंतर्गत गठित एक कंपनी निकाय है और जिसका प्रधान कार्यालय रायपुर (छ.ग.) में स्थित है और जिसकी शाखाओं में से एक शाखा ..... में स्थित है, के बीच आज दिन ..... दिनांक.....20..... को किया गया है।

अतः उधारकर्ता के दिनांक ..... के आवेदन पत्र में किये गये अनुरोध पर बैंक उसे निर्धारित सीमा तक के अग्रिम उसके ..... कारोबार/व्यवसाय के प्रयोजन के लिए इसमें आगे उल्लेखित शर्तों और तरीकों पर देने के लिए सहमत हो गया है, अतः अब यह करार निम्नलिखित बातों का साक्षी है :-

1. बैंक उधारकर्ता को ..... की अन्तरावधियों में ..... प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ..... रुपया तक के अधिकतम सीमा का ऋण इसमें उल्लेखित प्रयोजन और शर्तों पर देने के लिए सहमत हैं उधारकर्ता उसे लेने के लिये सहमत हैं। यह ऋण बैंक द्वारा उधारकर्ता को परिशिष्ट I में दर्शाई गयी निर्धारित अवधियों के अनुसार वितरित किया जायेगा।
2. उधारकर्ता ऋण के मूलधन और उसके ब्याज के अदायगी इसके साथ संलग्न सूची II में निर्धारित तरीके से करेगा परंतु यह उपबन्ध है कि यदि आवक ऋण किसी किस्त की निर्धारित तारीख की अदायगी किये जाने में चूक होने पर अथवा नीचे के खण्ड 7 में उल्लेखित किसी घटना के होने पर बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ऋण की अदायगी की मांग करे और ऐसी स्थिति में उधारकर्ता बैंक को उस समय देय सारी राशि अदा करेगा चाहे वह राशि मूलधन, ब्याज या अन्य किसी प्रकार की क्यों न हो।
3. उधारकर्ता के ऋण या उसके किसी भी अंश को प्राप्त करने के पहले यदि बैंक उससे अपेक्षा करे तो वह - (1) स्वीकार्य जमीन देकर ऋण की जमानत देगा और/या (2) बैंक में देय मूलधन, ब्याज अन्य आय के लिए उक्त खाते की उतनी राशियाँ विनियोजित या समायोजित करले जितनी बैंक द्वारा आवश्यक या वांछनीय समझी जाये।
4. इस करार के फलस्वरूप या उसके अधीन बैंक को अदा की जाने वाली राशियों की जमानत के रूप में उधारकर्ता बैंक के नाम पहले प्रभार के रूप में इसके साथ संलग्न सूची III में वर्णित और ब्योरा दी गई अस्तियों (इससे आगे जिन्हें "दृष्टिबंधक माल" कहा गया है) को दृष्टिबंधक कर देगा और जब तक बैंक को देय संपूर्ण राशियाँ प्राप्त नहीं हो जाती, ये राशियाँ उनको जमानत के रूप में दृष्टिबंधक और प्रमाणित होगी और बनी रहेगी। उधारकर्ता उक्त राशियों के बारे में बैंक द्वारा निर्धारित आवधिक विवरण के अनुसार उक्त विवरण बैंक को प्रस्तुत करेगा और बैंक को समय-समय पर उन स्थानों की सूचना देता रहेगा जहाँ दृष्टिबंधक माल रखा हो।
5. एतद् द्वारा निर्मित जमानत निरंतर जमानत होगी और वह बैंक को उधारकर्ता द्वारा समय-समय पर देय राशियों के लिये लागू होगी तथा इस जमानत के प्रयोजन के लिये उधारकर्ता का ऋण खाता बन्द किया गया नहीं माना जायेगा और न ही किसी समय या समय पर उधारकर्ता के खाते में जमा की गई राशियों के कारण उसे समाप्त या मुक्त माना जायेगा।
6. एतद् द्वारा निर्मित उधारकर्ता यह करार करता है कि वह बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्जिन बैंक के नाम पर हमेशा ही बनाये रखेगा।
7. यदि उधारकर्ता इन लिखितों के अधीन अपने किसी दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहता है अथवा यदि बैंक की राय में एतद् द्वारा प्रदान की गई जमानत खटाई में पड़ जाती है अथवा उसके खराब हो जाने की संभावना है अथवा यदि उधारकर्ता उक्त कारोबार/व्यवसाय करने में असमर्थ रहता है और इन तमाम बातों के संबंध में बैंक का मत अंतिम होगा, बैंक उसके एजेन्टों और नामित व्यक्तियों के लिये वैध होगा कि वे उधारकर्ता को कोई कारण बताये बिना और उसे कोई सूचना दिये बिना तथा उसके जोखिम और खर्च पर उक्त आहते में प्रवेश कर ले जहाँ उक्त दृष्टिबंधक माल पड़ा हो/या जहाँ कभी भी

उक्त दृष्टिबंधक माल पड़ा हो, उस पर कब्जा कर लें और या उसे कोई सूचना दिये बिना बेच दे। उधारकर्ता माँग किये जाने पर बैंक को दृष्टिबंधक माल का कब्जा सौंप देगा। बैंक उक्त दृष्टिबंधक रखे गये माल की बिक्री से प्राप्त हुई शुद्ध बिक्री को राशि का उपयोग उधारकर्ता पर इस करार के अधीन तत्समय बकाया और उसके द्वारा देय राशियों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त हो उधारकर्ता बैंक को देय राशि की तत्काल अदायगी करने का भागी होगा।

8. उधारकर्ता एतद् द्वारा बैंक के साथ यह करार करता है कि उसने उक्त दृष्टिबंधक माल को किसी प्रकार से दृष्टिबंधक नहीं रखा है, प्रभारित नहीं किया है और न ही उसे बंधक रखा है तथा वह इसके बाद बैंक की विशिष्ट लिखित अनुमति के बिना उक्त दृष्टिबंधक माल को न तो दृष्टिबंधक रखेगा, प्रभारित करेगा और न गिरवी रखेगा।
9. दृष्टिबंधक माल ऋण की प्रवर्तनविधि (करेंसी) के दौरान अच्छी और बिक्री किये जाने योग्य हालत में रखा जायेगा और उसका उधारकर्ता के खर्च पर ऐसे जोखिम के लिये बैंक द्वारा अनुमोदित बीमा कार्यालय में बैंक के नाम अथवा बैंक और उधारकर्ता दोनों के संयुक्त नाम पर दृष्टिबंधक माल के मूल्य को परी सीमा तक बैंक द्वारा अथवा विधि से अपेक्षित बीमा किया जायेगा और दोनों ही स्थितियों में बीमे की पॉलिसियां और रसीदें बैंक को सौंप दी जायेगी। उधारकर्ता किसी भी समय बैंक के हित में किये गये बीमे की राशि के बारे में कोई विवाद नहीं उठायेगा। यदि उधारकर्ता उक्त प्रकार से उल्लेखित बीमा कराने में अथवा किसी पालिसी का नवीनीकरण करने में अथवा उक्त बीमा किस्तों की अदायगी करने में अथवा दृष्टिबंधक माल को इस प्रकार बीमाकृत बनाये रखने में अथवा बैंक को बीमे की पॉलिसियां और रसीदें सौंपने में यदि कोई चूक करता है तो बैंक के लिए यह वैध होगा (परन्तु अनिवार्य नहीं होगा) कि वह स्वयं ही ऐसा बीमा करा ले अथवा उसका नवीनीकरण करा ले अथवा उक्त बीमा की किस्तें अदा कर दें और उक्त दृष्टिबंधक माल को बीमाकृत बनाये रखे और इस संबंध में किये गये अपने खर्च को उधारकर्ता के खाते में नामे डाल दे और यह राशि इस करार के अधीन जमानती अग्रिम मानी जायेगी और तदनुसार उसकी वसूली की जायेगी। बीमे की किसी पालिसी विषयक अथवा उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समायोजन, निपटारा समझौता या उसका विवेचन कराने का बैंक को एक मात्र अधिकार होगा और इस संबंध में बैंक द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उधारकर्ता के लिए वैध और बाध्यकर होगा, परन्तु इससे बैंक को उधारकर्ता से अपनी बकाया राशियां वसूल करने के लिए अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्वलिखित किसी बीमे ऋण खाता बन्द किया गया नहीं माना जायेगा और न ही किसी समय या समय पर उधारकर्ताके प्राप्त सभी राशियाँ उसमें से समस्त खर्च काटने के बाद बैंक को तत्समय बकाया राशियों के परिशोधन के लिए काम में लायी जायेगी और उनमें कुछ राशि के अधिशेष रहने पर वह उधारकर्ता को अदा कर दी जायेगी। उधारकर्ता यह करार करता है कि यदि उसे उक्त बीमे के अधीन कोई भी राशि प्राप्त होती है तो वह तत्काल ही उसकी अदायगी बैंक को कर देगा।
10. बैंक और उसके एजेन्टों के लिए यह वैध होगा कि वह कोई सूचना दिये बिना और हर बात के लिए उधारकर्ता के खर्च पर उसके किसी भी आहते/कार्यालय और/अथवा दृष्टिबंधक रखे गये माल के संग्रह के स्थान में दृष्टिबंधक रखे गये माल का निरीक्षण करने और/अथवा उसके मूल्यांकन करने और/अथवा उसके जांच करने के प्रयोजन से और उधारकर्ता की लेख बहियों का हिसाब किताब करने और उनका निरीक्षण करने (जिसे करने के लिए बैंक को एतद् द्वारा अधिकार दिया गया है) के लिए किसी भी समय प्रवेश कर सके और उक्त मूल्यांकन का ऐसा सभी खर्च उधारकर्ता के उक्त ऋण खाते में नामे डाला जायेगा और तदनुसार वह उसके द्वारा देय होगा तथा जब तक उसी अदायगी नहीं की जाती तब तक वह इस करार के अंतर्गत जमानती अग्रिम माना जायेगा। उधारकर्ता एतद् द्वारा बैंक को यह सामान्य ग्रहणाधिकार और अधिकार प्रदान करता है कि उक्त लेखे की अदायगी के लिए बैंक उसे कोई सूचना दिये बिना खातों का समायोजन और एकीकरण कर लें तथा बैंक के कब्जे में फिलहाल जिस किसी विवरण की चल सम्पत्ति हो अथवा उधारकर्ताओं के कारण अथवा उसमें से किसी एक के कारण अलग-अलग या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से बैंक के कब्जे में आई हो उस पर प्रभारित कर लें।
11. उधारकर्ता उक्त कारोबार/व्यवसाय के संबंध में देय सभी राशियों, किरायेदारों, कर मूल्यांकन और अन्य कोई निकासियों और साथी ही जो भी कोई ऐसे/अन्य अनुबंध और दायित्व हो जिनकी अदायगी उधारकर्ता को करनी हो या जिनका उधारकर्ता द्वारा पालन या निष्पादन किया जाना हो उन सब की वह यथाविधि और समय पर अदायगी करेगा।

12. उधारकर्ता यह वचन देता है कि उक्त आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए ही ऋण की राशि का प्रयोग करेगा और वह आगे यह वचन देता है कि ऋण की राशि में से खरीदे गये माल का उपयोग केवल उक्त कारोबार व्यवसाय को चलाने के लिए ही किया जायेगा।
13. उधारकर्ता बैंक को तत्काल ही ऐसे किसी नोटिस या सूचना की जानकारी देगा जो किसी प्राधिकारी, सरकार, अर्धसरकारी संस्था, नगर पालिका या स्थानीय निकाय से उधारकर्ता, द्वारा उनके प्रति अपने दायित्व को पूरा न किये जाने के संबंध में की गई, चूक विलम्ब आदि के लिए प्राप्त हुई हो।
14. उधारकर्ता बैंक को ऐसी सभी सूचना देगा जो बैंक द्वारा अपनी इच्छा से समय-समय पर मांगी जाय और इसमें उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति से संबंधित सूचना भी शामिल रहेगी।
15. उधारकर्ता की ओर से इस करार अथवा किसी अन्य प्रलेख का पालन करने में चूक करने पर बैंक जिस अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग कर सकता है उसमें विलम्ब होने अथवा छूट दिये जाने से बैंक के किसी ऐसा अधिकार, शक्ति या उपाय में कोई क्षति नहीं होगी और न ही उसका यह अर्थ लगाया जायेगा कि उनके लिये छूट दी गई अथवा उक्त चूक को बैंक ने चुपचाप स्वीकार कर लिया है और न ही उधारकर्ता की पूर्वोक्त चूक के लिये बैंक की किसी कार्यवाही अथवा किसी कार्यवाही के न किये जाने को अथवा बैंक द्वारा उसके चुपचाप कर लिए जाने का उधारकर्ता को किसी ऐसी चूक के संबंध में बैंक के किसी अधिकार, शक्ति या उपाय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही वे प्रभावित होंगे।
16. इस करार के अंतर्गत दिया गया या दिया जाने वाला कोई भी अपेक्षित नोटिस उस स्थिति में यथाविधि दिया गया माना जायेगा जब वह संबंधित पक्ष के उस पते पर दस्ती दिया गया हो अथवा वह रजिस्ट्री डाक या तार से भेजा गया हो जो उक्त पक्ष के नीचे निर्दिष्ट पते या पार्टी द्वारा लिखित रूप से अभिहित किए गये किसी अन्य पते पर दिये जाने के लिए अपेक्षित या अनुमत था।
17. रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिवर्तित ब्याज दर तथा नियम व शर्तें मुझे मान्य होंगे।

इसके साक्ष्य में इसमें उल्लेखित उधारकर्ता और बैंक ने पूर्वोक्त स्थान, दिनांक और वर्ष को यह विलेख निष्पादित किया।

(क) उधारकर्ता के लिए :

हस्ताक्षर

(ख) बैंक के लिए :

कृते छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

**शाखा प्रबंधक**

टिप्पणी :- यह प्रलेख ऐसे ऋणों (अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों ही) को प्रदान करने के लिए प्राप्त किया जाना चाहिए जिनके लिए दृष्टिबंधक रखकर जमानत दी गई हो, दृष्टिबंधक रखे गये माल में खड़ी फसलें, कृषि की मशीनें, गाड़ियां पशु और अन्य सभी अस्थायी सम्पत्ति शामिल है।



अनुसूची - I

वितरण की निर्धारित अवधि

.....  
.....  
.....  
.....

अनुसूची - II

अदायगी की निर्धारित अवधि

.....  
.....

निर्धारित तारीख/तारीखें

देय राशि (राशियां)

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

अनुसूची - III

दृष्टिबंधक रखी गई वस्तुओं का विवरण :-

.....  
.....  
.....  
.....

कृते छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

शाखा प्रबंधक

ऋणकर्ता के/का  
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रति,

शाखा प्रबंधक

शाखा - .....

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

**Mudra Guarantee Coverage हेतु आवेदन पत्र**

1. मैं ..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी .....  
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा - ..... के कार्यक्षेत्र में .....  
..... के नाम से .....  
उद्योग/सेवा व्यवसाय का संचालन कर रहा हूँ।
2. मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा - ..... से उक्त  
उद्योग/व्यवसाय हेतु सावधि/नगद साख सीमा/संयुक्त ऋण ₹..... का  
ऋण आवेदन किया गया है।
3. मैं ऋण की सुरक्षा हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति देने में असमर्थ हूँ। अतः कृपया मेरे  
उक्त ऋण को CGFMU से कव्हर किये जाने का कष्ट करें।
4. CGFMU से कव्हर किये जाने की स्थिति में CGFMU को देय गारण्टी  
शुल्क/सेवा प्रभार आदि राशि का भुगतान मेरे ऋण खाते को नामे कर किये  
जाने हेतु शाखा- ..... को अधिकृत करता हूँ।
5. मेरे द्वारा पूर्व में अन्य किसी बैंक/वित्तीय संस्था से CGFMU कव्हरेज के साथ  
ऋण प्राप्त नहीं किया गया है/ऋण बकाया नहीं है।

दिनांक - / /

ऋण आवेदक के हस्ताक्षर

नाम - .....

**APPLICATION FOR LINKING/ SEEDING AADHAR NUMBER  
AND RECEIVING DBT BENEFITS INTO BANK ACCOUNT-(NPCI MAPPING)\***

The Branch Manager,  
.....Branch  
.....Bank

Date:

Dear Sir,

Account No. \_\_\_\_\_ in A/c Name \_\_\_\_\_

**Linking / Seeding of Aadhaar in NPCI-Mapping for Receiving Direct Benefits**

I am maintaining a Bank account No. \_\_\_\_\_ with your Branch.

2. I submit my Aadhaar number and voluntarily give my consent

to:  Use my Aadhaar Details to authenticate me from UIDAI.

Use my Mobile Number mentioned below for sending SMS Alerts to me.

Link the Aadhaar Number to all my existing/new/future accounts and customer profile (CIF) with your Bank.

(Signature/Thumb Impression of customer)

**OPTION FOR RECEIVING DBT BENEFITS ( TICK ONE)**

I wish to seed my account No. \_\_\_\_\_ with NPCI mapper to enable me to receive Direct Benefit Transfer (DBT) including LPG Subsidy from Govt. of India (GOI) in my above account. I understand that if more than one Benefit transfer is due to me, I will receive all the benefit transfers in the same account.**(for customer who have not so far seeded account with NPCI Mapper)**

I already have an account with \_\_\_\_\_ (name of Bank) having IIN Number\*\*\_\_\_\_\_, and seeded with NPCI Mapper for receiving DBT from GOI. **I request you to change my NPCI mapping(DBT Benefit Account)** to my account with your Bank.

I already have an account with another bank \_\_\_\_\_(name of Bank) having IIN Number\*\*\_\_\_\_\_, and seeded with NPCI Mapper for receiving DBT from GOI. **I do not want to change my NPCI mapping(DBT Benefit Account)** from the existing Bank.

I do not wish to seed my accounts from your Bank with NPCI Mapper **(I will not be getting DBT).**

3. I have been explained about the nature of information that may be shared upon authentication. I have been given to understand that my *information submitted to the bank herewith shall not be used for any purpose other than mentioned above, or as per requirements of law.*

4. I hereby declare that all the above information voluntarily furnished by me is true, correct and complete.

Yours faithfully

[if consent sent through BC/BDO/VO]

(Signature/Thumb Impression of customer)

I hereby authorise the Banking Correspondent

.....

I hereby authorise the Sarpanch,/ V.O./B.D.O./

.....

to submit the above consent letter to the bank.

Name :

Mobile No.:

Email:

Encl: Copy of Aadhaar

(Signature/Thumb Impression of Customer)

\*NPCI Mapping : Mapping is a process of associating a Bank with Aadhaar number which is facilitated by NPCI for Direct Benefit Transfer to the respective Bank who have linked the Aadhaar Number to a specific Bank account for receiving Direct Benefits to which customer has given the consent.

\*\* IIN number will be provided by Bank receiving the consent Application

## प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना



### सहमति –सह – घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा **SBI Life Insurance Company Limited** की “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना” का सदस्य बनने के लिये अपनी सहमति देता हूँ, जिसे मास्टर पॉलिसी नंबर **761001000842** के तहत आपके बैंक द्वारा संचालित किया जायेगा।

मैं एतद्वारा आपको अपनी शाखा में मेरे खाते से ₹\_\_\_\_/–(लागू प्रीमियम राशि<sup>#</sup>) PMJJBY के तहत दो लाख रुपये के बीमा कवर के प्रीमियम कटौती के लिए अधिकृत करता हूँ। मैं आपको भविष्य में 25मई के बाद और 1 जून से पहले अगले निर्देश तक हर साल कटौती करने के लिए अधिकृत करता हूँ, राशि ₹436/–(₹ चार सौ छत्तीस मात्र) या समय-समय पर तय की गई कोई भी राशि, संशोधित होने पर तुरंत सूचित कर, योजना के तहत कवरेज नवीनीकरण किया जा सकता है।

मैंने किसी अन्य बैंक/डाकघर को इस योजना के संबंध में प्रीमियम डेबिट करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। मुझे पता है कि मेरे द्वारा योजना के लिए एकाधिक नामांकन के मामले में, मेरा बीमा कवर रु. केवल दो लाख और एकाधिक नामांकन के लिए मेरे द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

मैंने योजना के नियमों को पढ़ और समझ लिया है और मैं इस योजना का सदस्य बनने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। मुझे पता है कि योजना में नामांकन/पुनः शामिल होने की तारीख से प्रथम 30 दिनों के दौरान जोखिम को कवर नहीं किया जायेगा (Lien Period) और Lien Period के दौरान मृत्यु (दुर्घटना के अलावा) के मामले में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

मैं बैंक को समूह बीमा योजना में मेरे प्रवेश के संबंध में, जैसा आवश्यक हो, नीचे दिए गए मेरे व्यक्तिगत विवरण को **SBI Life Insurance Company Limited** देने के लिए अधिकृत करता हूँ।

# यदि नामांकन इन महीनों के किसी भी दिन होता है –

- जून, जुलाई एवं अगस्त – वार्षिक प्रीमियम राशि ₹436/– देय
- सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर – 3 तिमाही प्रीमियम राशि @₹114.00/– कुल ₹342/– देय
- दिसंबर, जनवरी एवं फरवरी – 2 तिमाही प्रीमियम राशि @₹114.00/– कुल ₹228/– देय
- मार्च, अप्रैल एवं मई – 2 तिमाही प्रीमियम राशि @₹114.00/– देय

रिस्क कवर Subscriber के खाते से प्रीमियम के ऑटो-डेबिट की तारीख से शुरू होगा।

खाता धारक का नाम**		पिता/पति का नाम**	
खाता संख्या**		बैंक शाखा का IFSC**	
PAN No., यदि उपलब्ध हो तो**		Aadhar No., यदि उपलब्ध हो तो**	
जन्म तिथि**		E-mail ID**	
क्या किसी अशक्तता से ग्रसित हैं?		यदि हाँ, तो विवरण	
नॉमिनी का नाम और पता		नॉमिनी की जन्मतिथि	
		नॉमिनी का खाताधारक के साथ संबंध	
अभिभावक/नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है)		नामांकित व्यक्ति के साथ अभिभावक/नियुक्त व्यक्ति का संबंध	

नॉमिनी का मोबाईल नं.		अभिभावक / नियुक्त व्यक्ति का मोबाईल नं.	
नॉमिनी का E-Mail ID		अभिभावक / नियुक्त व्यक्ति का E-Mail ID	

मैं अपनी पहचान (केवाईसी\*) के प्रमाण के रूप में अपने \_\_\_\_\_ की प्रति संलग्न करता हूँ और इस योजना के तहत अपने नॉमिनी को नामित करता हूँ। नॉमिनी अव्यस्क होने के कारण उसके अभिभावक को उपरोक्तानुसार नियुक्त किया जाता है।

\* आधार कार्ड या चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) या मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन सभी प्रकार से सत्य हैं और मैं इससे सहमत हूँ तथा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी उपरोक्त योजना में प्रवेश का आधार बनेगी एवं यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो योजना के मेरी सदस्यता को रद्द माना जाएगा।

दिनांक – \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर  
पता:

पुष्टि की जाती है कि आवेदक के विवरण\*\* और हस्ताक्षर इस बैंक के पास उपलब्ध रिकार्ड से सत्यापित किये गये हैं (या आवेदक द्वारा जमा किये गये केवाईसी दस्तावेज\*, यदि यह बैंक के पास उपलब्ध नहीं है)।

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

(शाखा नाम और कोड के साथ बैंक की सील)

कार्यालयीन उपयोग हेतु

एजेंट/बैंकिंग संवाददाता का नाम (BC)		एजेंसी/ बीसी कोड सं.	
एजेंट/बीसी का बैंक खाता विवरण		एजेंट/बीसी का हस्ताक्षर	

#### पावती सह बीमा प्रमाण-पत्र

हम एतद्वारा बैंक खाताधारक श्री/सुश्री/कु. \_\_\_\_\_ बैंक खाता संख्या \_\_\_\_\_ आधार संख्या \_\_\_\_\_ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल करने के लिए निर्दिष्ट बैंक खाते से मास्टर पॉलिसी नंबर **76001000842** बीमाकर्ता **SBI Life Insurance Company Limited** को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आवरण के लिए वांछित प्रीमियम को ऑटोडेबिट करने हेतु प्राधिकृत करते हैं बशर्ते कि यह पात्रता और प्रीमियम राशि प्राप्ति के संबंध में प्रदान की जानकारी की सत्यता के अधीन है तथा खाताधारक से “सहमति-सह-घोषणा पत्र” प्राप्ति की पुष्टि करते हैं।

बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय की मुहर